## खरवार आंदोलन

पलामू जिले के कोयल नदी का दक्षिण क्षेत्र खरवारों का वास स्थान रहा है। इस जनजाति के लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जंगल पर आश्रित रहे हैं। लेकिन वन कानूनों के अस्तित्व में आ जाने से वन पर से उनके अधिकार समाप्त हो गए थे। कांग्रेस सरकार द्वारा उन्हें अधिकार दिलाने का वायदा किया गया था। लेकिन जमींदारी उन्मूलन के बाद भी उनको राहत नहीं मिली। उन्हें न तो जमीन पर अधिकार मिला और न ही जंगल पर। खरवार जनजाति के लोग ऐसे व्यवहार से काफी खिन्न हो गए। वे लोग आंदोलन के लिए संगठित होने लगे। खरवार द्वारा जंगल के बेहिचक प्रयोग हेतु सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन के सूत्रधार फेटल सिंह नामक खरवार थे। उसका संबंध

Scanned with CamScanner

खरवार जनजाति के सूर्यवंशी परिवार से था। वह एक कृषक था तथा प्राथमिक स्तर तक शिक्षित था। दिसंबर 1957 में फेटल सिंह ने आंदोलन के लिए खरवारों को संगठित करना आरंभ किया। उसने मध्य प्रदेश के खरवारों को भी इस आंदोलन से जोड़ा। उसने खरवारों को नारा दिया कि जंगल हमारी बपौती है, लेकिन हमें जंगल में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। जंगल में अफसर और ठेकेदार अंधाधुंध कटाई करके कमा रहे हैं। हम लोग भूखे मर रहे हैं। अब हम वन ठेकेदारों के लिए कोई काम नहीं करेंगे। हम वन विभाग के अधिकारियों तथा पुलिस को भी नहीं मानेंगे। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हम अपनी सरकार बनायेंगे तथा उसके अनुसार काम करेंगे।

मध्य प्रदेश में खरवार नेता चुन्नी गौंड के नेतृत्व में खाबी ग्राम (अंबिकापुर) में आंदोलन चलाया गया था। जंगल पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए मध्य प्रदेश में खरवारों ने 1957–58 में वन अधिकारियों, पुलिस थानों तथा वन ठेकेदारों के ऊपर कई छोटे–छोटे आक्रमण किए थे। उन आंदोलनों में कई खरवार लोग मारे भी गए थे। चुन्नी गौंड का संपर्क फेटल सिंह के साथ भी था।

जब खरवार आंदोलन से वन पदाधिकारी, वन कर्मचारी, वन ठेकेदार, वन प्रशासन के लोग लाचार हो गए तब फेटल सिंह तथा उनके अनुयायियों को पकड़ने तथा गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई। इस योजना में पुलिस प्रशासन सफल रहा। फेटल सिंह तथा उसके आठ समर्थकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जेल में फेटल सिंह अस्वस्थ रहने लगा। तब उससे बांड भरवा कर जेल से रिहा कर दिया गया था। खरवारों द्वारा चलाया गया वन आंदोलन बिना किसी उपलब्धि के समाप्त हो गया।

Scanned with CamScanner